भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्यस सभा

अतारांकित प्रश्नभ संख्य2335

13 मई, 2016 के लिए प्रश्नम

खाद्यान्नों का भंडारण

2335. श्री रामदास अठावले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों की भंडारण आवश्यकता की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) और (ख): जी हां। खरीद के व्यस्ततम मौसम के दौरान स्टॉक के स्तर के आधार पर देश में केन्द्रीय पूल के स्टॉक के लिए अधिकतम भंडारण क्षमता की आवश्यकता का आकलन लगभग 600 लाख टन है। वर्ष 2015 के दौरान केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक का स्तर दिनांक 01.04.2015 को न्यूनतम अर्थात 343.15 लाख टन और दिनांक 01.06.2015 को अधिकतम अर्थात 568.34 लाख टन के बीच था। दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों , दोनों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 814.84 लाख टन (एफसीआई - 357.89 लाख टन और राज्य एजेंसियां - 456.95 लाख टन) है और केन्द्रीय पूल में स्टॉक 366.99 लाख टन था। इस प्रकार देश में समग्रतः पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है।
